कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक चित्तौडगढ

//कार्यालय–आदेश//

NTSP /TSP

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021–22 दिनांक 02.09.2023 की अनुपालना में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा – 2022 में गैर–अनुसूचित/अनुसूचित क्षैत्र हेतु अंतिम रूप से चयनित और चित्तौड़गढ जिले में आवंटित शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदस्थापन हेतु जिले में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रिक्त पदों पर दिनांक 09.09.2023 को परामर्श शिविर आयोजित किया गया था।

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021–22 दिनांक 06.12.2023 में प्राप्त निर्देशों की पालना में पूर्व में प्राप्त सूची में ONLY COUNSELLING अंकित अभ्यर्थियों में से निम्नांकित अभ्यर्थीयों द्वारा प्रस्तुत प्रशैक्षणिक/खेल दस्तावेजों की संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था से Genuine रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण इनको राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017, पे–मेट्रिक्स L-10 में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राबेशनर ट्रेनी) के रूप में मासिक नियत मानदेय (फिक्स् रेमून्रेशन) 23700/– (पूर्व में सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संबधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिर्पोट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावे। **इसके अभाव में किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाए।** पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पायी जाती है उनके विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही की जानी है, ऐसे प्रकरण में अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जाकर, तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे।
3. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो सम्बन्धित संस्थाप्रधान के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ–पत्र 50/– रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
6. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13)कार्मिक/क–2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जाए।
8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से दहेज नही लेने सम्बधीं स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावें।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से करें तथा सही पाये जाने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पायी जावे तो कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को सूचना तत्काल भिजवाई जावे।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व इनसे 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।
11. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल 10 में प्रोबेशन ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर राज्य सरकार के आदेशानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां नियमानुसार की जावेगी।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
16. **संबंधित संस्थाप्रधान आशार्थी को कार्यग्रहण कराने से पूर्व इस बात का ध्यान रखे कि टीएसपी क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थी को टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में ही कार्यग्रहण करावे। टीएसपी क्षेत्र में चयनित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराये जाने से पूर्व टीएसपी क्षेत्र विशेष का मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करे।**
17. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये । यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।
18. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। **महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा।** ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित आवेदन पत्र इस कार्यालय को तत्काल लौटाते हुए सूचना भिजवाई जावे। **उपर्युक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित आवेदकों को कार्यग्रहण करावें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।**
19. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार के परिपत्र प.7/1/DOP/A-II/2019 दिनांक 20.10.2019 के अन्तर्गत जारी किया होना चाहिये।
20. संबंधित संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छायाचित्र(फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावें कि वहीं अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण करे जिसका आवेदन पत्र पर छायाचित्र(फोटो) चस्पा है।
21. **कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ लेंवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एंव दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण , जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर बिना किसी नोटिस/क्षतिपूर्ति के इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एंव इनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।**
22. **ऐसे अभ्यर्थी जिनकों प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों (उप्रावि विद्यालय) में नियुक्ति प्रदान की गयी है, उनको पीईईओ (पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी) कार्यालयों के माध्यम से ही कार्यग्रहण कराया जाये।**

अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 27.12.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाकर इसका शालादर्पण पर इन्द्राज करें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से देवें।

(कल्पना शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक मुख्यालय चित्तौडगढ

क्रमांक :- जिशिचि/मुख्या/माध्य/स्था-I/नियुक्ति/शारीरिकशिक्षाअध्यापक/2023/404 दिनांक :- 07/12/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन उपसचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
4. श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
5. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
6. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़।
7. श्री जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक चित्तौड़गढ़।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला चित्तौड़गढ़।
9. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ अपने ब्लॉक के कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से आवेदन प्राप्त करे।
10. संबंधित अभ्यर्थी।
11. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक मुख्यालय चित्तौडगढ

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, चित्तौड़गढ़

शास्त्रीनगर चौराहा, भीलवाड़ा रोड़, चित्तौड़गढ़ (राज.) 312001

शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 के पदस्थापन आदेश

क्रमांक :– जिशिचि / मुख्या / माध्य / स्था– I / नियुक्ति / शारीरिक शिक्षा अध्यापक / 2023 / 404 दिनांक :– 07 / 12 / 2023

नॉन टीएसपी क्षेत्र

क्र. सं.	अभ्यर्थी फोटो	आवेदित वर्ग	चयन वर्ग	H CATE	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी मय पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म दिनांक	पदस्थापन स्थान मय शालादर्पण / यूडाईस आईडी	ब्लॉक
1		GEN-EWS	GEN-EWS	—	3096	CHANDAN BALA JAIN / BHAIRU LAL JAIN, VILLAGE - PUROHITO KA SANWATA POST - NARELA TEHSIL - CHITTORGARH District CHITTORGARH	10-12-1998	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL RAMA KHEDA (495749)(08290519601)	CHITTORGARH
2		OBC	OBC	—	3562	SEEMA JAT / JAMNA LAL JAT, V-AGARPURA POST-SUWANA BHILWARA - - District BHILWARA	29-12-1999	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL TRESHTHA (487707)(08290201001)	GANGRAR
3		SC	SC	—	5146	POONAM SANKHLA / LADU LAL SANKHALA, KHATIK MOHALLA PANSAL - District BHILWARA	20-06-1996	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHATKHERA (484846)(08290210401)	GANGRAR

4		OBC	OBC	---	3372	CHHANNU KEER / BALU LAL KEER, V/P-AKOLA TEH-SUWANA DIST-BHILWARA District BHILWARA	12-04-1996	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UNCHA (224022)(08290101105)	RASHMI
5		OBC	OBC	---	3797	BHAGYA LAXMI / RAM CHANDER, VILLAGE - KAWAL POST - KIRODA TEHSIL - DEGANA District NAGAUR	25-10-1996	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MATA JI KI ORDI (483112)(08290513501)	CHITTORGARH
6		GEN	GEN	---	1847	ABHIMANYU SINGH SHAKTAWAT / MAHENDRA SINGH SHAKTAWAT, 736308 no	25-11-1996	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KANKRIYA (487801)(08290606301)	KAPASAN
7		GEN	GEN	---	1857	MOHIT JOSHI / BABULAL JOSHI, 701407 no	02-03-1990	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHUNJYAKHERI (467283)(08291003401)	NIMBAHERA
8		OBC	OBC	---	1996	MAHIPAL CHOUDHARY / RAM KUNWER CHOUDHARY, VILLAGE ANANDIPURA POST BHADWA KI KOTARI TEHSIL HURDA District BHILWARA	31-03-1995	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KALYAN PURA MUNGANA (501485)(08290600201)	KAPASAN

9		OBC	OBC	—	2068	SURJAN SINGH / KESAR SINGH, BSNL COLONY QTR NO 35 B R MIRDHA GOVT COLLEGE KE SAMNE District NAGAUR	11-12-1998	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL GADARIYAVAS (484757)(08290601202)	KAPASAN
10		OBC	OBC	—	2180	SHAKEEL MOHAMMAD / HUSAIN KHAN, VPO-BHERUNDA TEH-RIYAN BARI - District NAGAUR	09-10-1997	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL TARAKHEDI (487151)(08290604301)	KAPASAN
11		OBC	OBC	—	2197	RAMESHWAR LAL / RAM KISHOR, PUNA NADI INANA TEH MUNDWA District NAGAUR	15-02-1993	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KOLPURA (487732)(08290608401)	KAPASAN
12		GEN	GEN	—	2236	AJAY MENARIA / OM PRAKASH MENARIA, 720237 no	13-06-1999	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BADI (487106)(08290702401)	BHOPALSAGAR
13		OBC	OBC	—	2300	DEEPAK YADAV / OM PRAKASH YADAV, 44, MAILA KI DHANI BEGAS JAIPUR District JAIPUR	16-10-2000	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHARLIYA (483338)(08290916202)	BHADESAR
14		SC	SC	—	2371	RAVI KHOIWAL / JAGDISH KHOIWAL, KHATIK MOHALLA GHOSUNDA GHOSUNDA - District CHITTORGARH	05-01-1996	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JODHPURIYA (500400)(08290324401)	BEGUN

15		OBC	OBC	---	2443	KAPIL CHOUDHARY / TARACHAND, TANDIYO KI BASS - - District NAGAUR	01-07-1997	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AALOD (224279)(08290806501)	DUNGLA
16		OBC	OBC	---	2460	AKSHAY MALI / MADAN MALI, NAHAR KE PASS, GARH KE NICHE, VPO-PANSAL,TEH.AND DIST-BHILWARA District BHILWARA	30-07-1994	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SONAGAR (482981)(08290307401)	BEGUN
17		OBC	OBC	---	2497	MUKESH BISHNOI / BHABHOOTA RAM BISHNOI, BEHIND MOTHER TERESA SCHOOL MANNA KI BADI SOORSAGAR District JODHPUR	02-05-1987	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AKODIYA (403450)(08290302401)	BEGUN
18		MBC	MBC	---	3300	VINOD KUMAR GURJAR / DEV KISHAN GURJAR, VILLAGE CHANDANPURA POST JETPUR TEH NAINWA District BUNDI	15-08-1997	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DHARLA (483185)(08290313503)	BEGUN
19		SC	SC	---	4155	RAVI KUMAR KHATIK / RAMPAL KHATIK, PURANI DHANMANDI KHATIK MOHALLA BHILWARA District BHILWARA	06-06-1998	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL PRATAPPURA (480233)(08290400501)	BHAINSROADGARH
20		SC	SC	---	4551	DEEPAK KHINCHI / SAMPAT LAL KHATIK, VILLAGE - PITHAS TEHSIL - MANDAL VIA - PUR District BHILWARA	06-06-1998	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SHYOPURIYA (487702)(08290418002)	BHAINSROADGARH

21		SC	SC	---	4554	AVINASH KUMAR KHATIK / SHYAM LAL KHATIK, NANDRAY ROAD BIGOD TEH- MANDALGARH - District BHILWARA	04-08-1991	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KOTDA KUNDAL BADODIYA BHAINSROADGARH CHITTORGARH (483254)(08290406101)	BHAINSROADGARH
22		SC	SC	---	4812	ANKIT KHOIWAL / TANSUKH KHOIWAL, 12 A 12 TILAK NAGAR SIDHHI VINAYAK HOSPITAL KE SAMNE District BHILWARA	17-04-1998	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL G. U. P. S. KUSHALGARH (400863)(08290419201)	BHAINSROADGARH

(कल्पना शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक मुख्यालय चित्तौडगढ

... ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल